भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 380
सोमवार, 05 फरवरी, 2024/16 माघ, 1945 (शक)

एससी/एसटी/ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बेरोजगार

380. श्रीमती संगीता आज़ाद:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के समुदायों के लिए रोजगार के किन्हीं स्थायी अवसरों का सृजन किया गया है और अभी तक कितने पद खाली हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य राज्यों की तुलना में रोजगार के अवसरों में असमानता को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कोई उपाय क्रियान्वित किए जा रहे हैं;

(घ) सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए उपलब्ध अधिकारों और अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कार्यबल में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वकालत की जा रही नीतियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों जिसमें अजा, अजजा, अ.पि.व. और ईडब्ल्यूएस भी शामिल हैं, का अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष निम्नानुसार हैः

तालिका **-1**

वर्ष	कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) % में	बेरोजगारी दर (यूआर) % में
2020-21	52.6	4.2
2021-22	52.9	4.1
2022-23	56.0	3.2

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

उत्तर प्रदेश राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों जिसमें अजा, अजजा. अ.पि.व. और ईडब्ल्यूएस भी शामिल हैं, का अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और बेरोजगारी दर (यूआर) इस प्रकार हैं:

तालिका-**2**

वर्ष	उत्तर प्रदेश कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) % में	उत्तर प्रदेश बेरोजगारी दर (यूआर) % में
2020-21	48.0	4.2
2021-22	50.1	2.9
2022-23	53.9	2.4

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

तालिका-1 और तालिका-2 में वर्णित उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि देश के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में रोजगार दर्शाने वाले कामगार जनसंख्या अनुपात में वृद्धि की प्रवृत्ति है और बेरोजगारी दर में कमी की प्रवृत्ति है।

उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, रोजगार मेलों के माध्यम से नौकरी चाहने वालों को निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं। नौकरी चाहने वाले उत्तर प्रदेश के रोजगार कार्यालयों द्वारा आयोजित नौकरी मेलों में भाग ले सकते हैं जहां नियोक्ता, विभागीय पोर्टल (**https://sewayojan.up.nic.in**) पर अधिसूचित रिक्तियों के अनुसार उम्मीदवारों का चयन करते हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान, उत्तर प्रदेश में 1891 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया और रोजगार मेलों के माध्यम से 2,07,428 उम्मीदवारों का चयन किया गया।

रोजगार सृजन के साथ रोजगार क्षमता में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में (उत्तर प्रदेश सहित) रोजगार सृजित करने के लिए (अजा, अजजा, अपिव. और ईडब्ल्यूएस के व्यक्तियों सहित) विभिन्न कदम उठाए हैं।

ढांचागत और उत्पादक क्षमता में निवेश से, विकास और रोजगार पर बड़ा गुणक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2023-24 के बजट में, पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष, 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। विकास क्षमता और रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए हाल के वर्षों में की गई यह पर्याप्त वृद्धि, सरकार के प्रयासों के केंद्र में है।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार द्वारा सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगारों के सृजन तथा कोविड-19 महामारी के दौरान समाप्त हुए रोजगारों के पुनः सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी। इस योजना के आरंभ से, दिनांक 19.01.2024 तक, योजना के तहत 60.49 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को, उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। इस योजना के तहत दिनांक 31.01.2024 तक, 83.67 लाख ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। पीएमएमवाई के तहत, सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को, अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने तथा इसमें और अधिक विस्तार करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत, दिनांक 26.01.2024 तक 46.16 करोड़ से अधिक ऋण खाते स्वीकृत किए गए हैं।

सरकार द्वारा, वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना कार्यान्वित की जा रही है जिससे 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं। सरकार ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास हेतु एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है। इसके साथ-साथ, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस), प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस), का कार्यान्वयन कर रहा है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रम आदि भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है।

सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में रिक्त पदों को भरना एक सतत प्रक्रिया है और संबंधित भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार रिक्तियों को भरने का प्रयास किया जाता है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को खाली पड़ी आरक्षित रिक्तियों की पहचान के लिए एक आंतरिक समिति का गठन करने, ऐसी रिक्तियों के मूल कारण का अध्ययन करने, इनके होने के कारकों को दूर करने तथा ऐसी रिक्तियों को विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से भरने के उपाय शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्रालयों/विभागों द्वारा आरक्षण पर दिए गए निर्देशों के

कार्यान्वयन का समय-समय पर पालन किया जाता है और संपूर्ण सहायता देते हुए कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं।

सरकार ने चयन प्रक्रिया को सरल बनाकर और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, नियुक्तियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें परीक्षा स्तरों की संख्या में कमी, परीक्षा चक्र को छोटा करना, पेपर-आधारित परीक्षाओं के स्थान पर कंप्यूटर-आधारित परीक्षाओं का संचालन करना, निचले स्तर के पदों के लिए साक्षात्कार की समाप्ति और कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषाओं की शुरूआत करना शामिल है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक व्यापक योजना "आजीविका और उद्यम हेतु वंचित व्यक्तियों को सहायता (स्माईल)" तैयार की है, जिसका उद्देश्य अपने लक्षित समूहों का आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक सशक्तिकरण करना है।

अजा/अजजा हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र, अजा/अजजा के नौकरी चाहने वालों की रोजगार क्षमता बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये केंद्र व्यापक प्रचार-प्रसार और अजा/अजजा आबादी के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए आउटरीच गतिविधियां संचालित करते हैं। राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल, अजा/अजजा, अपिव और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित सभी श्रेणियों के नौकरी चाहने वालों को रोजगार संबंधी विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। ये सेवाएँ अखिल भारतीय स्तर पर उपलब्ध हैं। देश भर में मौजूद 1005 रोजगार कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से रोजगार सेवाएँ भी प्रदान की जाती हैं।

*****